न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या—89 / 2019
जी. सी.एम.एस.पोर्टल संख्या—2019 / 00126

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्यामसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी खानपुर तहसील लाडनूं जिला नागौर, राज0 मो.नं.– 9414961934		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति—

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री गोविन्द कड़वा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) श्री रामजीवन बेनीवाल।

निर्णय दिनांक– 15-03-2021

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील खण्ड 22 राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत, जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 245 / 2016 राजस्थान सरकार बनाम श्री श्यामसिंह उ0मू0दू0 खानपुरा में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से बहस में कथन किया अपीलांट को उचित मूल्य दुकानदार, खानपुर तहसील लाडनूं जिला नागौर हेतु विधिवत प्राधिकार जारी किया हुआ था। अपीलांट नियमानुसार कार्य कर रहा था इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व जो अपीलांट के परिवार से पुरानी रंजिश रखते थे उन्होने मिथ्या शिकायत करनी शुरू कर दी जिस पर तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी ने जांच की व स्वतंत्र लोगो से पूछताछ की व विभागीय प्रवर्तन निरीक्षक ने भी जांच की व अपीलांट के विरूद्व शिकायत झुठी पायी गयी। इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी ने उक्त आदेश के जरिये आसोटा स्थित उचित मूल्य दुकानदान के प्राधिकार पत्र बर्खास्तगी के साथ साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वर्तमान प्रकरण में अपीलांट का प्राधिकार पत्र भी निरस्त करने का आदेश दिनांक 22.10.2019 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

2(1)—अधिनस्थ रसद अधिकारी का आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के विपरीत व पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य सामग्री उपलब्ध हुए बिना ही पारित किया होने से अपास्त / निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है व अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है।

2(2)—ग्राम आसोटा की उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार के साथ साथ अपीलांट के विरूद्व शिकायतकर्ताओ ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष शिकायत पेश करते हुए यह आक्षेप लगाया कि अपीलांट द्वारा राशन की सामग्री का वितरण नहीं किया जाता है एवं उपभोक्ताओं का राशन सामग्री वितरण किये बिना ही संधारित रजिस्टर व दस्तावेजो में गलत इन्द्राज का आरोप लगाते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की गयी जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:34 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

विधिवत जांच करवाई गयी और जांच होकर फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 10.02.2017 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित शिविर (आसोटा ग्राम पंचायत) में उपस्थित रहकर श्रीमान डी.एस.ओ. नागौर के आदेश दिनांक 7.12.2016 के क्रम में ग्राम पंचायत में श्री नरेन्द्रसिंह उचित मूल्य दुकानदार व श्यामसिंह उचित मूल्य दुकानदार खानपुर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दोनो उचित मूल्य दुकानदारो पर आवंटित गेहूं का प्रतिमाह वितरण नहीं कर एक माह में वितरण करने की शिकायत पर शिविर में जांच की गयी व मौके पर की गयी पूछताछ में शिविर में उपस्थित उपभोक्ताओ, सरपंच की उपस्थिति व पूछताछ करने पर बताया कि वर्तमान समय में गत छः माह से दोनो उचित मुल्य दुकानदारो पर पोस मशीन के माध्यम से आवंटित गेहूं का प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है प्रतिमाह दुकाने निर्धारित समय पर खुली रहती है, गेहूं व अन्य सामग्री का वितरण पोश मशीन द्वारा ही किया जा रहा है मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ ने वितरण संबंधी किसी प्रकार की शिकायत जाहिर नहीं की।

2(3)—मौके पर संरपंच ग्राम पंचायत आसोटा ने बताया कि कथित शिकायत 8–9 माह पहले की है जिसकी जांच तत्कालीन समय पर संबंधित अधिकारियो द्वारा कर ली गई है। रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर करवाये। मौके पर सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा ने बताया कि पोश मशीन से पूर्व बी.पी.एल. लाभान्वित को व अन्य पात्रधारियो को दो माह से राशन सामग्री वितरण की जाती रही है जिसकी जांच तत्कालीन समय पर की जा चुकी है वर्तमान समय में पोश मशीन से प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार उपरोक्त जांच जो कि सरपंच व मौजीज लोगो के समक्ष की गयी जिसमें अपीलांट के विरूद्व लगाये गये आक्षेप झुठे पाये व फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली में पेश हो रखी है इसके बावजूद उसे नजर अन्दाज करते हुए आदेश / निर्णय जैर अपील पारित करने में विधिक त्रुटि की है व आरोप साबित हुए बिना अपीलांट को दोषी करार दिया गया है।

2(4)—अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी को वास्तविक तथ्यो से अवगत करवाते हुए निवेदन कर दिया गया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 355–56 दिनांक 24.12.2018 को दुकान पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा जांच की गयी जिसमें अपीलांट को निर्दोष पाया गया व शिकायतकर्ता गिरधारीराम जो कि अपीलांट के घर का पड़ौसी है जो जमीन संबंधी विवाद के कारण रंजिशवंश बार–बार झुठी शिकायत करते है तथा पिछले 5–6 साल से अपीलांट की झुठी शिकायते करता है व कहा कि तेरे मकान के आगे की जमीन में से मेरी बाड़ी के लिए रास्ता नही दिया तो तेरा जीना दुभर कर दुंगा। इसी दुराशय से अन्य शिकायती लोगो के साथ मिलकर अपीलांट की बार बार मिथ्या शिकायते की है। जबकि अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान खानपुर में स्थित रही है और खानपुर में गिरधारीराम के अलावा अन्य किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही है तथा शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा पात्र परिवार का भी नहीं है इसके बावजूद व्यक्ति विशेष की मिथ्या शिकायत को आधार बना कर व राजनेतिक प्रभाव के चलते बिना शिकायत प्रमाणित हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र बर्खास्त करने का आदेश जैर अपील पारित करना कतई विधि सम्मत नहीं है।

2(5)—जहां तक कथित शिकायतो का आधार बनाकर आदेश / निर्णय जैर अपील पारित किया गया है वे व्यक्ति विशेष एवं आजीविका समूह [illegible] है जो अपने स्वार्थपूर्ति के लिए अनावश्यक रूप से उचित मूल्य की दुकानों के [illegible] के विरूद्व मिथ्या शिकायत करना शुरू कर दिया जबकि पूरे गांव के लोगो, उपभोक्ताओ [illegible] सरपंच आदि को कभी भी अपीलांट से व उसकी कार्य प्रणाली व राशन सामग्री वितरण से कोई शिकायत कभी नहीं रहीं है व जांच रिपोर्टो में भी शिकायते झुठी पाई गयी है इस [illegible] प्रकरण हाजा विशेष परिस्थितियो का है जिसमें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होगा कि अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:34 IST
Reason: SelfAttested

(राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

निर्दोष होते हुए भी वास्तविक तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुए प्राधिकार पत्र बिना किसी आधार के खारिज किया गया है एसी स्थिति में आदेश/ निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

2(6)—तहसीलदार लाडनूं द्वारा दिनांक 8.3.2016 को कथित शिकायत पर जांच कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश की जिसमें शिकायत जांच कर रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश की जिसमें शिकायत निराधार पाई गयी, इसी प्रकार दिनांक 31.12. 2018 को तहसीलदार लाडनूं द्वारा पुनः जांच की गयी व मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें मौके पर उपस्थित गवाहान सोहनलाल, हीरालाल, धर्मवीरसिंह, आसुसिंह, सुखदेवाराम, बजरंगलाल, ओमप्रकाश, मनीष, मदनसिंह वगैरा के बयान लिये व अलग अलग जाति के लोगो से पूछताछ व जांच कर बयान लिये जिनमें भी अपीलांट के विरूद्व शिकायत झुठी पायी व समय पर राशन सामग्री वितरण करना पाया गया जो तमाम रिपोर्टे व बयान पत्रावली में मौजूद है जिनका अवलोकन करने से भी स्पष्ट होगा कि रसद अधिकारी ने उक्त रिपोर्टो व गवाहान के बयानो के नजर अन्दाज करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2(7)—अपीलांट के द्वारा के द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया था जिससे आवश्यक वस्तु अधिनियम या राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश—1976 के किसी भी शर्त या निबन्धनों का उल्लंघन होता हो तथा अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र में बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त करना किसी भी प्रकार से कानून सम्मत नहीं था और इस आधार पर भी आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

2(8)—अपीलांट के विरूद्व गांव के किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत कभी नहीं रही थी, हमेशा नियमानुसार व प्राधिकार पत्र की शर्तो अनुसार सामग्री वितरण की जाती रही है और कथित शिकायत व्यक्ति विशेष जो अपीलांट से जमीनी विवाद रखते है उनके द्वारा की गयी है जो भी जांच रिपोर्टो में झुठी पायी गयी है व अपीलांट को निर्दोष पाया गया है इसके बावजूद सरसरी तौर पर ही जल्दबाजी में आनन फानन में आदेश जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है।

2(9)—उपरोक्त हालात में अपीलान्ट विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। अपीलांट को जारी उक्त प्राधिकार पत्र के बाद में अपीलांट के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत किसी भी उपभोक्ता/ सरपंच या अन्य नागरिक की गबन बाबत नहीं थी जिससे यह साबित हो कि अपलांट के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम या उसके तहत बने नियमो का उल्लंघन किया गया हो। इसके अलावा अपलांट के द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो व निबन्धनों की पालना करते हुए विधिनुसार कार्य किया जा रहा था जिससे भी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाना किसी भी सुरत में न्यायोचित नहीं था, अपीलांट के द्वारा उचित मूल्य दूकानदार के रूप में कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से किया जाता रहा है सक्षम अधिकारी की जांचो में भी कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है इस बाबत स्पष्टीकरण खुलासा उपर दिया जा चुका है एसी स्थिति में प्राधिकार पत्र बहाल करना न्यायोचित होते हुए भी उसे निरस्त करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है।

2(10)—अपीलांट बेरोजगार है उसके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी अपीलांट पर ही है तथा अपीलांट नियमानुसार राशन सामग्री वितरण करता आ रहा है किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है इसके बावजूद इस तरह का कठोरतम निर्णय पारित नहीं करके अपीलांट को आवश्यक हिदायत देकर या आवश्यकता होने पर अण्डरटेकिंग/ शपथ पत्र लेकर प्राधिकार पत्र बहाल करना न्याय संगत था व है और यही विधि की मंशा है मगर ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:29:34 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

नहीं करके सरसरी आधारो पर एक ही अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने में जिला रसद अधिकारी नागौर ने विधिक त्रुटि की है जिससे भी आदेश जैर अपील संशोधित / परिवर्तित / निरस्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो भी शर्ते अपीलांट पर अधिरोपित की जावेगी उनकी अपीलांट अक्षरशः पालना करने को तैयार होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 245 / 16 राजस्थान राज.सरकार बनाम श्यामसिंह में पारित आदेश / निर्णय दिनांक 22.10.2019 को अपास्त / संशोधित / निरस्त किया जाने व अपलांट के पक्ष में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किया जाने एवं अन्य अनुतोष जो भी लाभार्थ अपीलांट हो प्रदाने कराने का निवेदन किया।

3. प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना की रिपोर्ट दिनांक 13.05.16 एवं निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर अपीलान्ट को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.05.2016 के अनुसार दिनांक 13.05.2016 को उपभोक्ता पखवाड़ा होते हुए भी अपीलान्ट की दुकान बन्द पाई गई। दुकान के बाहर सूचना एवं मूल्य प्रर्दशन बोर्ड में सूचनाऐं प्रदर्शित नहीं थी। उक्त आरोपों के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बचाव में कोई कथन नहीं किया। दौराने जॉच राशन सामग्री आवंटन एवं वितरण का रिकार्ड भी अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी लाडनूँ द्वारा पत्रांक–01.12.2016 के साथ प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 के अनुसार मौके पर श्री हरीराम पुत्र सुमेराराम माली, श्री भंवरलाल पुत्र भींयाराम जाट, भगवानराम पुत्र दुदाराम जाट, रामकुंवार पुत्र गिरधारीराम जाट, मोहनराम पुत्र कुनाराम जाति जाट, बुधाराम पुत्र नराणाराम जाति जाट, गिरधारीराम पुत्र नारायणराम निवासीगण खानपुर के बयानों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री आदि के वितरण में गंभीर अनियमितताऐं बरती जाकर गबन किया गया है। उक्तानुसार आरापों के संबंध में अपीलान्ट द्वारा कोई विशिष्ठ एवं तथ्यात्मक एवं ठोस आधारों पर जबाब प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही उक्त आरोपों को खण्डन स्वरूप कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसके अलावा प्रवर्तन अधिकारी लाडनूँ की जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.02.2017 के अनुसार भी सरपंच एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा माह सितम्बर 2016 से पूर्व बीपीएल, स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति माह से अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो माह में एक बार वितरण किया जाना बताया गया एवं वक्त जॉच, जॉच अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसके अलावा एक माह छोड़कर वितरण करने का रसद विभाग का कोई आदेश नहीं है। जबाब में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.10.2019 को जबाब प्रस्तुत कर पोश मशीन से पूर्व का रिकार्ड तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक को जॉच हेतु सुपुर्द करना बताया, डीलर द्वारा लिखित जबाब में पोश मशीन लागू होने से पूर्व बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय उपभोक्ताओं का प्रतिमाह गेहूँ का वितरण किया जाना बताया एवं खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटन कम प्राप्त होने से कुछ उपभोक्ता गेहूँ प्राप्त करने से शेष रह जाते थे। उक्त कार्ड धारकों को अगले माह में पहले राशन सामग्री का वितरण किया जाता था, मेरे द्वारा आवंटित गेहूँ का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता था। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोप को गलत बताया, परन्तु उसके द्वारा लिखित जबाब में यह नहीं बताया कि उपरोक्त आरोप किस प्रकार गलत है तथा इसका कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। मौखिक सुनवाई में भी अपीलान्ट द्वारा बताया कि मेरे विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता ने किसी भी जॉच में व जिला रसद कार्यालय में राशन सामग्री नहीं देने की शिकायत नहीं की गई है। शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा का पात्र नहीं है, शिकायतकर्ता के साथ मेरा जमीनी विवाद चल रहा है जिसके कारण शिकायतकर्ता मेरी बार–बार शिकायत कर रहा है। किसी माह कोई उपभोक्ता रह जाते थे

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:29:34 IST
Reason: SelfAttested

उनको मेरे द्वारा अगले माह दो माह की राशन सामग्री एक साथ दी जाती थी। मेरे द्वारा आपूर्तिनुसार पूरी राशन सामग्री वितरण किया जाता था। मेरे विरूद्ध तत्कालीन समय में की गई लोकायुक्त जॉच एवं अन्य जॉच में मेरे द्वारा कितनी राशन सामग्री व किन–किन उपभोक्ताओं की राशन सामग्री का गबन किया, किसी भी जॉच में पुष्टि नहीं की गई है। मेरे द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड, तत्कालीन जॉच अधिकारी श्रीमती रजनी स्वामी को उपलब्ध करवा दिया, परन्तु उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। अपीलान्ट द्वारा उक्त व्यक्तिगत सुनवाई में उक्तानुसार किये गये मौखिक कथनों के संबंध में कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिए मौखिक कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा वितरण में गंभीर अनियमिताऐं की गई है एवं प्रवर्तन अधिकारी लाडनूं की जॉच में अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण रजिस्टर में प्रविष्ट कर उपभोक्ताओं को नहीं देकर अपीलान्ट स्वंय द्वारा गबन करना, जॉच अधिकारियों को रिकार्ड या रिकार्ड जमा करने की रसीद उपलब्ध नहीं करवाना, एक माह छोड़कर एक माह गेहूँ वितरण करने के विरूद्ध जबाब में कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

4. वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना की रिपोर्ट दिनांक 13.05.16 एवं निरीक्षण प्रपत्र के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा अपीलान्ट को जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.05.2016 के अनुसार दिनांक 13.05.2016 को उपभोक्ता पखवाड़ा होते हुए भी अपीलान्ट की दुकान बन्द पाई गई। दुकान के बाहर सूचना एवं मूल्य प्रर्दशन बोर्ड में सूचनाऐं प्रदर्शित नहीं थी। उक्त आरोपों के संबंध में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बचाव में कोई कथन नहीं किया और न ही उक्त आरोपों के खण्डन में कोई साक्ष्य पेश की है। दौराने जॉच राशन सामग्री आवंटन एवं वितरण का रिकार्ड भी अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रवर्तन अधिकारी लाडनूॅ द्वारा पत्रांक–01.12.2016 के साथ प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2016 के अनुसार मौके पर श्री हरीराम पुत्र सुमेराराम माली, श्री भंवरलाल पुत्र भींयाराम जाट, भगवानराम पुत्र दुदाराम जाट, रामकुंवार पुत्र गिरधारीराम जाट, मोहनराम पुत्र कुनाराम जाति जाट, बुधाराम पुत्र नराणाराम जाति जाट, गिरधारीराम पुत्र नारायणराम निवासीगण खानपुर के बयानों के अनुसार अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री आदि के वितरण में गंभीर अनियमितताऐं बरती जाकर गबन किया गया है। उक्तानुसार आरोप के संबंध में अपीलान्ट द्वारा तथ्यपरक एवं ठोस आधारों पर जबाब प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही उक्त आरोप के खण्डन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत की है। इसके अलावा प्रवर्तन अधिकारी लाडनूॅ की जॉच रिपोर्ट दिनांक 10.02.2017 के अनुसार भी सरपंच एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा माह सितम्बर 2016 से पूर्व बीपीएल, स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रति माह से अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो माह में एक बार वितरण किया [illegible] जॉच अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया। उक्त संबंध [illegible] अधिकारी(अभियोजन) ने दौराने बहस कथन किया कि एक माह छोड़कर वितरण करने [illegible] विभाग का कोई आदेश नहीं है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.10.2019 [illegible] अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर पोश मशीन से पूर्व का रिकार्ड [illegible] निरीक्षक को जॉच हेतु सुपुर्द करना बताया, डीलर द्वारा लिखित जबाब में पोश मशीन लागू होने से पूर्व बी.पी.एल. स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय उपभोक्ताओं का प्रतिमाह गेहूँ का वितरण किया जाना बताया एवं खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:29:34 IST
Reason: SelfAttested

योजनान्तर्गत आवंटन कम प्राप्त होने से कुछ उपभोक्ता गेहूँ प्राप्त करने से शेष रह जाते थे। उक्त कार्ड धारकों को अगले माह में पहले राशन सामग्री का वितरण किया जाता था, मेरे द्वारा आवंटित गेहूँ का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता था। अपीलान्ट द्वारा उक्त आरोप को गलत बताया, परन्तु उसके द्वारा लिखित जबाब में यह नहीं बताया गया कि उपरोक्त आरोप किस प्रकार गलत है तथा इसका कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। व्यक्तिगत मौखिक सुनवाई में भी अपीलान्ट द्वारा बताया कि मेरे विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता ने किसी भी जॉच में व जिला रसद कार्यालय में राशन सामग्री नहीं देने की शिकायत नहीं की गई है। शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा का पात्र नहीं है, शिकायतकर्ता के साथ मेरा जमीनी विवाद चल रहा है जिसके कारण शिकायतकर्ता मेरी बार–बार शिकायत कर रहा है। किसी माह कोई उपभोक्ता रह जाते थे उनको मेरे द्वारा अगले माह दो माह की राशन सामग्री एक साथ दी जाती थी। मेरे द्वारा आपूर्तिनुसार पूरी राशन सामग्री वितरण किया जाता था। मेरे विरूद्ध तत्कालीन समय में की गई लोकायुक्त जॉच एवं अन्य जॉच में मेरे द्वारा कितनी राशन सामग्री व किन–किन उपभोक्ताओं की राशन सामग्री का गबन किया, किसी भी जॉच में पुष्टि नहीं की गई है। मेरे द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड तत्कालीन जॉच अधिकारी श्रीमती रजनी स्वामी को उपलब्ध करवा दिया, परन्तु उसकी रसीद मेरे पास नहीं है। अपीलान्ट द्वारा उक्त व्यक्तिगत सुनवाई में उक्तानुसार किये गये मौखिक कथनों के संबंध में कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिए मौखिक कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा वितरण में गंभीर अनियमिताऐं की गई है एवं प्रवर्तन अधिकारी लाडनूं की जॉच में अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण रजिस्टर में प्रविष्ट कर उपभोक्ताओं को नहीं देकर अपीलान्ट स्वंय द्वारा गबन करना, जॉच अधिकारियों को रिकार्ड या रिकार्ड जमा करने की रसीद उपलब्ध नहीं करवाना, एक माह छोड़कर एक माह गेहूँ वितरण करने के विरूद्ध जबाब में कोई ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से अपीलान्ट के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। इसलिए निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।
6. निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:29:34 IST
Reason: SelfAttested